

**बिहार सरकार**  
**समाजकल्याण निदेशालय**  
**कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, दरभंगा**  
(नाका नं-५ स्टेट बैक भवन तीसरा तल)

**आदेश**

निदेशक समाज कल्याण-सह-उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार, पटना के पत्रांक-10/आई सी.पी. एस(विविध)-06/2011-388 के आलोक में जिला बाल संरक्षण इकाई, दरभंगा एवं इसके अधिनरथ कार्यालयों में संविदा के आधार पर बहाली के लिए तीन सहायक-सह-आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक की माँग जिला पदाधिकारी से की गई थी। इस सदर्भ में रक्षापना उप समाहर्ता, दरभंगा के पत्रांक 1736, विनांक 08.12.2014 द्वारा जिला रत्तर पर तैयार कार्यपालक सहायक के पैनल से निम्नलिखित 03 (तीन) सहायक -सह-आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक का विवरण उपलब्ध कराया गया है।

अतेक जिला में निर्मित नए पैनल से आरक्षण नियमों के आलोक में निम्नलिखित अभ्यर्थियों का नियोजन संविदा के आधार पर लोक सेवाओं का अधिकार के अन्तर्गत सहायक -सह आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालन के पद पर पदस्थापन अगले एक वर्ष के लिए किया जाता है।

क्र०सं०	आई०डी०नम्बर	रैल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	कोटि
1	DRB000838	C118	पुनीत कुमार झा, पिता-वैद्यनाथ झा, मुहल्ला- रामानंद पथ, हनुमार मन्दिर के समीप, लहेरियासराय, दरभंगा, मोबाईल-9430044086	सामान्य
2	DRB000674	B120	अभिषेक किशोर, पिता-श्री कमल किशोर प्रसाद, द्वारा-धनेश मिश्र, शुभंकरपुर, बद्रीनारायण मंदिर के समीप, दरभंगा, मोबाईल-9334912581	सामान्य
3	DRB000313	A169	मो अतीकूर रहमान, पिता- मो जलील, मुहल्ला-खाजासराय(नूनफरवा)पोर्ट-लहेरियासराय, जिला-दरभंगा, मोबाईल-8292439582	इ०बी०सी०

उपरोक्त पदस्थापन निम्नांकित सेवा शर्तों के अधीन होगी तथा किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में बगैर कारण बताए सेवा समाप्त किया जा सकता।

- वयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 9000.00 / 10000.00 (नौ हजार/ दस हजार) Lump Sump भुगतान किया जायेगा।
- योगदान के समय मैट्रीक उत्तीर्णता से संबंधित मूल प्रमाण-पत्र तथा अन्य सभी प्रमाण-पत्र एवं इसकी रख-अभिप्रमाणित प्रति कार्यालय प्रधान के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। मूल प्रमाण-पत्र से छायाप्रति का मिलान कर कार्यालय प्रधान के द्वारा मूल प्रमाण-पत्र आवेदक को उसी समय वापस कर दिया जायेगा।
- संविदा के आधार पर यह नियोजन कार्य आधारित/अवधि आधारित एक वर्ष के लिए पूर्णतः अस्थायी होगी। यह कर्णांकित अवधि हेतु निर्गत नियोजन पत्र भविष्य में सरकारी नियुक्ति हेतु कोई दावा का आधार नहीं हो सकता। कार्य असंतोषप्रद पांगे जाने पर विना कारण बताए नियोजन अवधि के बीच में भी सेवा से मुक्त किया जा सकता है।
- वयनित अभ्यर्थी को आदेश दिया जाता है कि वे पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अन्दर जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित समय-सीमा के अन्दर योगदान नहीं करने पर यह मानते हुए कि आप सेवा देने के लिए इच्छुक नहीं हैं, आपके स्थान पर अन्य अभ्यर्थियों का नियमानुसार चयन करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी।

सहायक निदेशक  
जिला बाल संरक्षण इकाई,  
दरभंगा

ज्ञापांक - 135

दिनांक - 12/12/2014

- वयनित सहायक-सह-आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक को सूचनार्थ एवं अनुपालनर्थ प्रेषित।  
जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।  
I.T. Manager को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।  
रक्षापना उपसमांहर्ता, दरभंगा  
जिलाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।  
निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना